डब्ल्यू-11042/13/2013-जल-II
भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

चौथा तल, पर्यावरण भवन
सीजीओ काँप्लैक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003

दिनांक: 17-03.2015

सेवा में,
प्रधान सचिव/सचिव ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता के प्रभारी सचिव; आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, तमिल नाडु और उत्तर प्रदेश।

विषय: राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल सुरक्षा पायलेट परियोजनाओं में भू-जल प्रबंधन प्रशिक्षण पर प्रशिक्षण।

संदर्भ: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय का दिनांक 31.01.14 का पत्र संख्या डब्ल्यू-11042/16/2010-जल
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय का दिनांक 07.07.14 का पत्र संख्या डब्ल्यू-11042/16/2010-जल

प्रिय महोदय,

जैसा कि आप जानते हैं एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत 10 राज्यों के 15 ब्लॉकों में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल सुरक्षा पायलेट परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी नियमित रूप से रिपोर्टों तथा राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा बैठकों के माध्यम से की जा रही है।

प्रभावशाली भू-जल प्रबंधन के लिए ग्राम स्तर पर क्षमता संवर्धन के प्रयासों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए सभी 15 पायलेट ब्लॉकों में भू-जल प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने तथा कार्यान्वयन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, डब्ल्यूएसपी-साउथ एशिया अर्थात मेसर्स मेटामेटा को नियुक्त किया गया है। मेसर्स मेटामेटा ने पायलेट ब्लॉकों में प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का आंकलन (टीएनए) अध्ययन किया और उसका उपयोग प्रशिक्षण की

आवश्यकताओं को पहचानने के लिए किया जिसके आधार पर उन्होंने स्थानीय भाषाओं में एक व्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया।

दिनांक 22-23 जुलाई, 2014 को डब्ल्यूएसपी-साउथ एशिया, विश्व बैंक द्वारा मेटामेटा तथा राज्य अधिकारियों के लिए दो दिवसीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई थी ताकि विकास किए जाने वाले प्रशिक्षण मॉड्यूल के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत प्रदर्शन किया जा सका तथा उस पर चर्चा की जा सके।

इस कार्यशाला का उद्देश्य पायलट ब्लॉकों से सभी नोडल अधिकारियों तथा स्थानीय सहायता संगठनों के टीम लीडरों को एक साथ लाना है ताकि वे मई, 2014 में पूरा हुए मेटामेटा द्वारा चलाए गए प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन (टीएनए) अभ्यास पर अपना फीडबैक तथा विचार साझा कर सकें।

मेटामेटा को अब निर्देश दिया गया है कि वे 30.05.2015 से पूर्व तिथियों तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक पायलट ब्लॉकों में 5 दिवसीय प्रशिक्षण चलाएँ।

पाँच दिवसीय प्रशिक्षण की लागत:

- एक दिवसीय अनुस्थापन तथा पाँच दिवसीय प्रशिक्षण को चलाने के लिए डब्ल्यूएसपी संसाधन व्यक्ति/संसाधन एजेंसी के लिए भुगतान करेगा।
- परियोजना से पाँच दिवसीय रिहायशी प्रशिक्षण के लिए स्थान, क्षेत्र दौरों पर स्थानीय यात्रा (यदि कोई हो, तो) तथा भागीदारी के अस्थायी आवास तथा प्रशिक्षण के दौरान खान-पान आदि का खर्च निकाला जाना अपेक्षित है।

नोडल अधिकारी निम्नलिखित उपलब्ध कराएँगे:

- स्थान: हॉल तथा फर्नीचर
- भागीदारों के खान-पान तथा अस्थायी आवास (सभी प्रशिक्षण रिहायशी होंगे)

नोडल अधिकारी निम्नलिखित की व्यवस्था करेंगे (जिसके लिए प्रशिक्षणदाता भुगतान करेंगे)

- अनुवादक
- अस्थायी आवास
- स्थानीय परिवहन
- प्रशिक्षण के दिनों में लंच
- रेंट पर एलसीडी प्रोजेक्टर तथा स्क्रीन

कार्यशाला के प्रथम दिन सभी भागीदारों को पंजीकरण करवाना आवश्यक है।

यह नोट किया जाए की दिनांक 16-17 अप्रैल, 2015 को राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला प्रस्तावित है अत: राज्यों से अनुरोध है कि उक्त दिवसों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था न करें।

चूँकि यह 5 दिवसीय रिहायशी प्रशिक्षण है और इसे 30.05.2015 तक पूरा किया जाना है अत: राज्यों से अनुरोध है कि वे 25.03.2015 तक sandhya.singh@nic.in, saumya.srivastava@nic.in और linha@worldbank.org; को तिथियों की पुष्टि करें ताकि प्रशिक्षणदाताओं को समय रहते सूचना दी जा सके और आवश्यक व्यवस्था की जा सके।

भवदीया,

(संध्या सिंह)
संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी)

सेवा में
प्रधान सचिव/सचिव ग्रामीण जलापूर्ति के प्रभारी
आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश,
तमिल नाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान,
कर्नाटक्, हरियाणा, गुजरात